



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238244
CG-DL-E-22082022-238244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]
No. 572]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 अगस्त, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 647.(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115नघ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अट्टाईसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 17गख में,—

(i) "न्यास या संस्था" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(जक) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" का वही अर्थ होगा, जो धारा 115नघ के स्पष्टीकरण के खंड (iiक) में इसका है;'

[अधिसूचना सं. 101/2022/फा. सं. 370142/37/2022—टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 636(अ) तारीख 18 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 647(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 115TD read with section 295, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (Twenty Eighth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 17CB,—

(i) for the words “trust or institution” wherever they occur, the words “specified person” shall be substituted;

(ii) in *Explanation*, after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(ha) “specified person” shall have the same meaning as assigned to it in clause (ia) of the *Explanation* to section 115TD;’.

[Notification No. 101/2022/F.No. 370142/37/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R 636(E) dated 18th August, 2022.